न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सिरवी पुनाडिया R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 291/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/799

1. श्री नारायणलाल पिता श्री हीराजी गुर्जर निवासी वरणी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

..........वादी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी वल्लभनगर जिला उदपयपुर राज0।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 10.12.2021

वादीगण द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 में खाता संख्या 156 नई मुझ वादी के पिता के नाम पर राजस्व रेक्रर्ड में भूमि दर्ज हैं। यह कि खाता संख्या 156 की आराजी नंबर 1884/569 कुल किता 1 रकबा 04 वीघा 00 विस्वा भूमि मुझ वादी के पिता के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। मुझ वादी के पिता के नाम हिराजी हैं तथा मेरे पिताजी के पिता के पिता जी का नाम भाणा हैं परंतु मेरे पिताजी के पिताजी की मृत्यु के समय मेरे पिताजी शोक में घर पर बैठे हुए थे पटवारी हल्का के द्वारा मेरे दादाजी का नाम हमेरा अंकित कर दिया हैं जबकि वास्तविकता में मेरे दादाजी का नाम भाणाजी था जो सहवन से भाणा अंकित नहीं करते हुए हमेरा अंकित कर दिया हैं जो गलत अंकित हो गया हैं जबकि अम्बालाल के पिता जी का हेमराज हैं जो उनका नाम हेमराज अंकित नहीं करते हुए हमेरा अंकित कर दिया हैं खातेदार हेमराज की मूत्यु हो चुकी हैं जिनके वारीस अम्बालाल हैं व अम्बालाल की मुत्यु हो गई हैं जिसके वारीस चम्पालाल व अमरचन्द हैं मेरे पिताजी हीराजी की भी मुत्यु हो गई हैं जिसके वारीस में वादी नारायणलाल मागीलाल परथू व राधीवाई हैं यानिकि 1/3 हिस्सा धूला पिता गोकल का हैं व 1/3 हिस्सा चम्पालाल, अमरचन्द पिता अम्बालाल का हैं व 1/3 हिस्सा मुझ वादी मांगीलाल परथू व राधीबाई का हैं मेरे दादाजी के नाम की ताईद में राशन कार्ड पहचान पत्र आदि में भाणा अंकित हैं परन्तु भाणा अंकित नहीं करते हुए हमेरा अंकित कर दिया हैं जबकि मेरे दादाजी का सही नाम भाणा है।

2. यह-कि इस प्रकार की त्रुटी मात्र सहवन से हुई है जिसको दुरस्त कराया जाना आवश्यक है उक्त त्रुटी को बिना दुरस्त कराये मुझ वादी को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है न ही राज्य सरकार की ओर से मिलने सुविधा ऋण का लाभ मिल पा रहा हैं इस प्रकार से मुझ वादी के दादाजी का नाम भाणा होने से जहॉ–जहॉ भी राजस्व रेकर्ड में हमेरा अंकित किया गया हैं उस

स्थान पर भाणा अंकित कराया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन किया कि वादग्रस्त ... मुझ वादी के दादाजी का नाम हमेरा के स्थान पर भाणा अंकित किया जाये।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण ... द्वारा जवाब पेश किया गया जिसको शामिल फाईल किया गया। हमने पत्रावली ... किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस पर मनन ... पाया की वादी द्वारा वाद पेश कर वादी के पिता के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड ... आराजीयात 1844/569 रकबा 4 बिघा भूमि में हीरा पिता हमेरा अंकित है जो गलत ... द्वारा हीरा पिता हमेरा के बजाय हीरा पिता भाणा अंकित किये जाने का निवेदन किया। ... तहसीलदार भीण्डर द्वारा जवाब पेश कर वादी स्वयं द्वारा साक्ष्य दस्तावेज से साबित ... कथन कहा गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, वोटर ... प्रति पेश की जिसमे वादी के पिता का नाम हीरा पिता भाना अंकित है वादी द्वारा ... प्रति पेश की जिसमे वादी के पिता का नाम हीरा पिता भाना अंकित है वादी द्वारा अपने ... समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत वरणी का प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें प्रमाणित ... की हीरा पिता हमेरा गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नही हैं। हीरा पिता भाना ... नाम हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह पाया की वादी के पिता का नाम हीरा ... गुर्जर है जिसको ग्राम पचांयत वरणी द्वारा भी प्रमाणित किया गया हैं। वादी द्वारा पेश ... भी यही प्रतित होता है कि वादी के पिता का सही नाम हीरा पिता भाना गुर्जर है। अतः ... वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी भू अभिलेख ... सालेडा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 की खाता ... नया 156 की आराजी नम्बर 1844/569 रकबा 4 बिघा भूमि में हीरा पिता हमेरा के बजाय ... पिता भाना संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। डिक्री पर्चा जारी ... पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को खुले ईजलास सुनाया गया।